



U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक : सचिव/उनिलि/लीगल एडवाइज/741

दिनांक : अगस्त 4, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 151 वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2012 को सम्पन्न हुयी, में लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बैच में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पैनल पर नामित अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस सम्बन्धी जारी कार्यालय ज्ञाप सं 717 वि0प0(21)/पाकालि/2012-3(3)वीपी/94 दिनांक 02.06.2012 (प्रति संलग्न) को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पैनल में नामित अधिवक्ताओं हेतु अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं 717 वि0प0(21)/पाकालि/2011-3(3)वीपी/94 दिनांक 02.06.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में दिनांक 02.06.2012 से प्रभावी माना जायेगा। यह संशोधित दरें केवल उन वादों के प्रकरणों में लागू होंगी जिनमें वाद दिनांक 02.06.2012 के बाद निगम/परियोजना के विरुद्ध योजित किया गया हो अथवा निगम/परियोजना द्वारा वाद योजित किया गया हो।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, तापीय परियोजना को इस आशय से प्रेषित कि वह सभी सम्बन्धित अधिकारियों जिनके द्वारा वादों की पैरवी की जाती है को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- महाप्रबन्धक (मा0सं0)/उप महाप्रबन्धक (टा0वा0से0), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, तापीय परियोजना।
- 7- मुख्य प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पैनल में नामित अधिवक्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, रिफार्म को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

W.M. 5/9/12
(एच0 कौ0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 717-दि0प0(21) / पाकालि / 2012-3(3)वीपी / 94

दिनांक : जून 02, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

एतदद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालयज्ञाप सं-1125-विप(21) / पाकालि / 2011-3(3)वीपी / 94 दिनांक-01.06.2011 में उल्लिखित सारिणी के कम सं0-2 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में दिये गये रिटेनरशिप फीस/अधिवक्ता शुल्क/क्लेकेंज एवं मा0न्यायालय से निर्णय/आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु फीस में तत्काल प्रभाव से निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाते हैं:-

<u>मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ</u>	<u>रिटेनरशिप फीस</u>	<u>अधिवक्ता शुल्क</u>	<u>सत्यापित प्रति</u>
1-वाणिज्यिक वादों की रिट याचिका हेतु हेतु	रुपये 10000 / प्रति माह	रुपये 6000 / + 15 प्रतिशत क्लेकेंज	सत्यापित प्रति हेतु रुपये 300/- मात्र
2-गैर-वाणिज्यिक वादों की रिट याचिका हेतु	रुपये 10000 / प्रति माह	रुपये 6000 / + 15 प्रतिशत क्लेकेंज	सत्यापित प्रति हेतु रुपये 300/- मात्र


उक्त फीस का नुगाहान कार्यालय ज्ञाप संख्या-716-दि0प0(21) / पाकालि / 2012-3(3)वीपी / 94 दिनांक जून 02, 2012 के आधार पर किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-717(1)दि0प0(21) / पाकालि / 2012 तददिनांक :

- 1-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0) महोदय के निजी सचिव उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2-समस्त निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3-समस्त अधिकारी, अधिकारी रूप से उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, एवं उन्नीस अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5-उपविधि अधिकारी, समस्त सहायक विधि अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- 7-समस्त मुख्य अभियन्ता/अर्धाक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पाकालि।
- 8-मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- 9-उप महाप्रबन्धक (लेखा), लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10-अनुसचिव(स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन(मु0) लखनऊ।

आज्ञा से,


(राजेंद्र प्रसाद)
उप विधि अधिकारी